

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 12 अगस्त, 2025

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ0प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Noida	स्व० श्री मौहम्मद अनवर	सर्वश्री अनवर इंडोरियर, नोएडा	11-05-2023	श्रीमती मैशर जहाँ, पत्नी	10.00 लाख
2	Saharanpur	स्व० श्री अश्वनी कपूर	सर्वश्री अश्वनी कपूर, शामली	01-02-2025	श्रीमती रेखा कपूर, पत्नी	10.00 लाख
3	Gorakhpur	स्व० श्री नौशाद अली	सर्वश्री एन०एन० ट्रेडर्स, कुशीनगर	05-02-2025	श्रीमती नाजमा, पत्नी	10.00 लाख
4	Varanasi	स्व० श्री लल्लन प्रसाद कुशावाहा	सर्वश्री दिप्ती प्लास्टर, मीरजापुर	27-05-2025	श्रीमती दिप्ती सिंह, पत्नी	10.00 लाख
5	Agra	स्व० श्री दिलीप कुमार गुप्ता	सर्वश्री दिलीप कैमीकल्स, आगरा	10-06-2025	श्रीमती लता गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)

प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी-2, आगरा को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, नोएडा-बी, सहारनपुर-बी, गोरखपुर-बी, मीरजापुर, आगरा-ए को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।